# समाचार

# रामपुर दारू भट्ठी के सामने आज पुनः हटाया गया अतिक्रमण

## (जिला प्रशासन, नगर निगम, आबकारी व पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही)

## (उक्त स्थल पर चखना दुकान, ठेला आदि लगाने को प्रतिबंधित किया गया)

कोरबा 24 मार्च 2022 – कलेक्टर श्रीमती रानू साहू के मार्गदर्शन एवं आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के दिशा निर्देशन में आज जिला प्रशासन, नगर निगम कोरबा, पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने रामपुर शराब दुकान देशी दारू भट्ठी के सामने किए गए अतिक्रमण को पुनः हटा दिया तथा अतिक्रमणकारियों को कड़ी हिदायत दी कि वे पुनः अतिक्रमण न करें, अतिक्रमण करने से बाज आएं अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

यहॉ उल्लेखनीय है कि कोरबा बालको मार्ग पर स्थित रामपुर देशी शराब दुकान के सामने सड़क किनारे शासकीय जमीन पर कब्जा करते हुए दुकानें बना ली गई थी, जिन पर चखना बेचने का व्यवसाय किया जा रहा था, इसके साथ ही पोल्ट्री फार्म भी अवैध रूप से चलाया जा रहा था। मुख्य्य मार्ग पर चखना दुकानों द्वारा भारी मात्रा में डिस्पोजल सहित अन्य कचरा फैलाया जा रहा था जिस पर कार्यवाही करते हुए विगत 11 फरवरी एवं 23 फरवरी को जिला प्रशासन व नगर निगम की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए उक्त अतिक्रमणों को वहॉ से हटाया गया था किन्तु इस बीच पुनः अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने इन अतिक्रमणों को हटाने तथा भविष्य में पुनः अतिक्रमण न होने के कड़े निर्देश दिए। कोरबा एस.डी.एम. श्री पैकरा की देखरेख में तहसीलदार श्री सलामे एवं सुरेश साहू, सहायक आयुक्त आबकारी श्री नरेटी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी राकेश राठौर, निगम के अतिक्रमण दस्ता प्रभारी योगेश राठौर तथा अतिक्रमण दस्ते की टीम ने इन अतिक्रमणों को हटाने की आज सघन रूप से कार्यवाही की तथा जे.सी.बी.आदि के माध्यम से अतिक्रमणों को पुनः हटाकर स्थल को अतिक्रमण मुक्त किया।

**<u>उक्त स्थल पर चखना दुकान, ठेला आदि प्रतिबंधित</u>** – अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक भी उक्त स्थल पर पहुंचे, उन्होने अतिक्रमण हटाने में अतिक्रमण दस्ते का मार्गदर्शन किया तथा अवैध कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों को कड़ी हिदायत दी कि वे पुनः अतिक्रमण करने का प्रयास न करें, उन्होने उक्त समूचे

स्थल में किसी प्रकार की चखना दुकान, ठेला आदि लगाने को प्रतिबंधित करते हुए कहा कि यदि किसी के द्वारा उक्त स्थल पर चखना दुकान, ठेला आदि जाते हैं तो दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

**अतिक्रमण पर रखें सतर्क नजर, करें त्वरित कार्यवाही–** आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के मैदानी अधिकारी कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने–अपने कार्य स्थलों में अतिक्रमण पर सतर्क नजर रखें तथा जहॉ कहीं भी अतिक्रमण, अवैध कब्जा दिखे, उसकी तत्काल सूचना अतिक्रमण दस्ते को दें, साथ ही यह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी नया अतिक्रमण न होने पाएं। उन्होने अतिक्रमण दस्ता प्रभारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण की जानकारी प्राप्त होते ही अविलंब अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करें।